भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3130

उत्तर देने की तारीखः 22.03.2018

भाषाई अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान

3130. श्री राजकुमार ध्रूतः

**क्या** मानव संसाधन विकास मंत्री **यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) वर्तमान में देश में कार्य कर रहे भाषायी अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों की संख्या कितनी है;**

**(ख) सरकार से, विशेषतः महाराष्ट्र में कितने संस्थानों को वित्तीय सहायता प्राप्त होती है;**

**(ग) क्या किसी अभिकरण को उनके कार्यकरण पर निगरानी रखने तथा ऐसे संस्थानों को अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है; और**

**(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं**?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

**(डॉ. सत्‍य पाल सिंह)**

(क) से (घ): मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत राष्‍ट्रीय अल्‍पसंख्‍यक शैक्षणिक संस्‍था आयोग (एनसीएमईआई), एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचित केवल छह धार्मिक समुदायों अर्थात् मुस्‍लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जोरोऐस्‍टरी (पारसी) और जैन, के आधार पर शैक्षणिक संस्‍थाओं को अल्‍पसंख्‍यक का दर्जा प्रदान करता है। भाषा-संबंधी अल्‍पसंख्‍यक समुदाय, एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 के क्षेत्र में नहीं आते। अत:, भाषा के आधार पर अल्‍पसंख्‍यक प्रमाणपत्र जारी करने के लिए किसी अभिकरण को सशक्‍त करने का प्रश्‍न नहीं उठता है।

\*\*\*\*\*